(342)

(213)

नि/निग/रीवा/भू-रा0/2017/3637

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 कैम्प रीवा

कोर्ट फी 20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
कोर्ट फी 20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs-40/-

सच्चिदानन्द पाण्डेय तनय श्री शारदा प्रसाद पाण्डेय, उम्र 66 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम कठेरी, तहसील–मनगंवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

आवेदक सच्चिदानन्द पाण्डेय द्वारा पेश 04-10-2017

————निगरानीकर्ता

बनाम

1– रामानन्द पाण्डेय तनय श्री शारदा प्रसाद पाण्डेय, उम्र– 64 वर्ष,

2– रामहर्ष पाण्डेय तनय श्री शारदा प्रसाद पाण्डेय, उम्र– 80 वर्ष,

दोनो निवासी ग्राम कठेरी, तहसील–मनगंवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

————गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार तहसील मनगंवा, जिला–रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 2/अ–5/11–12 पारित आदेश दिनांक 18.09.2017

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है–

1– यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

2– यह कि ग्राम कठेरी तहसील मनगंवा, जिला–रीवा म0प्र0 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1213, 1216, 1219 निगरानीकर्ता एवं गैर

सच्चिदानन्द पाण्डेय

(218)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III / निग० / 17 / 3637 जिला रीवा

सच्चिदानन्द पाण्डेय विरूद्ध रामानन्द पाण्डेय

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय ~~अधिवक्ता~~ द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 02/अ-5/11-12 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18-4-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

of 1

04/10/2017, 2:19 PM

भूमि खसरा क्रमांक 1213, 1216, 1219 निगरानीकर्ता एवं गर

सच्चिदानन्द पाण्डेय